



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10062026-273292
CG-DL-E-10062026-273292

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2811]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 8, 2026/ज्येष्ठ 18, 1948

No. 2811]

NEW DELHI, MONDAY, JUNE 8, 2026/JYAISTHA 18, 1948

विद्युत मंत्रालय आदेश

नई दिल्ली, 8 जून, 2026

का.आ. 2905(अ).— जबकि मेसर्स एसीएमई क्लीनटेक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय प्लॉट नंबर 152, सेक्टर-44, गुरुग्राम, हरियाणा-122002, भारत में स्थित है, ने ट्रांसमिशन योजना “ एसीएमई क्लीनटेक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड को उसके 400 मेगावाट ऊर्जा परियोजना (भंडारण सहित) के लिए कनेक्टिविटी प्रदान करने हेतु संचरण प्रणाली (सौर ऊर्जा / पवन ऊर्जा: 400 मेगावाट, ईएसएस: 380 मेगावाट घंटे)” के तहत ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन विद्युत के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत प्राधिकृत करने हेतु आवेदन किया है।

और जबकि, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने पत्र सं. 25-17/81/2025-PG दिनांक 02.09.2025 के द्वारा ट्रांसमिशन योजना “एसीएमई क्लीनटेक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड को उसके 400 मेगावाट पवन ऊर्जा परियोजना (भंडारण सहित) के लिए कनेक्टिविटी प्रदान करने हेतु संचरण प्रणाली (पवन ऊर्जा: 400 मेगावाट, ईएसएस: 380 मेगावाट घंटे)” के अंतर्गत आने वाली ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइनों के लिए विद्युत अधिनियम की धारा 68(1) के अंतर्गत पूर्व अनुमोदन प्रदान किया था।

मेसर्स एसीएमई क्लीनटेक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड ने स्थानीय समाचार पत्रों डेली हिंदी मिलाप (हिंदी) दिनांक 21.11.2025, द न्यू इंडियन एक्सप्रेस (अंग्रेजी) दिनांक 21.11.2025, साक्षी (तेलुगु) 21.11.2025, ईनाडु (तेलुगु) 21.11.2025 और भारत के साप्ताहिक राजपत्र दिनांक 20.12.2025 में ट्रांसमिशन योजना के लिए प्रस्तावित ट्रांसमिशन मार्ग पर प्रकाशन की तारीख से 2 महीने के भीतर आम जनता की टिप्पणियाँ / अभ्यावेदन की मांग करते हुए नोटिस प्रकाशित किया था। इसके पश्चात, मेसर्स एसीएमई क्लीनटेक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड ने 14.05.2026 दिनांकित एक हलफनामा

प्रस्तुत किया, जिसमें घोषणा की गई है कि भारत सरकार के आधिकारिक राजपत्र एवं स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशन की तारीख से 2 महीने के भीतर एक (01) टिप्पणी / अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था, जिसका उचित उत्तर दिया गया।

और अब आवेदक ने विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत “एसीएमई क्लीनटेक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड को उसके 400 मेगावाट ऊर्जा परियोजना (भंडारण सहित) के लिए कनेक्टिविटी प्रदान करने हेतु संचरण प्रणाली (सौर ऊर्जा/ पवन ऊर्जा : 400 मेगावाट, ईएसएस: 380 मेगावाट घंटे)” के तहत ट्रांसमिशन लाइन बिछाने के लिए उसे वे सभी शक्तियां प्रदान करने का अनुरोध किया है, जो भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के तहत टेलीग्राफ के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा स्थापित अथवा अनुरक्षित किए गए टेलीग्राफ लाइन एवं खम्भे या इस प्रकार की स्थापना और अनुरक्षण किए जाने के लिए, टेलीग्राफ प्राधिकरण को प्राप्त हैं। योजना के अंतर्गत निम्नलिखित ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइनें हैं:

1. एसीएमई क्लीनटेक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड (जेनरेशन स्विचयार्ड, गुलपालम गांव, वज्रकरूर तहसील, अनंतपुर जिला, आंध्र प्रदेश) - अनंतपुरम पीएस (आईएसटीएस एस/एस) 220 केवी एस/सी लाइन डीसी टावरों पर (डीसी टावर के दोनों सर्किटों की स्ट्रिंगिंग और दोनों सिरों पर दोनों सर्किटों की बंचिंग और दोनों सिरों पर एक ही बे पर समाप्त होकर एस/सी लाइन का निर्माण)

उपरोक्त योजना के अंतर्गत ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन आंध्र प्रदेश के निम्नांकित गांवों, कस्बों और शहरों से होकर, उन पर से, उनके आसपास से और बीच से होकर गुजरेगी।

गांव के नाम	तहसील	जिला	राज्य
गुलपालयम, कोनकंडला, गुलपालम, कमलापाडु	वज्रकरूर	अनंतपुर	आंध्र प्रदेश
दोनेमुक्कल, थिम्मापुर	गुंतकल	अनंतपुर	आंध्र प्रदेश

अब, सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, मेसर्स एसीएमई क्लीनटेक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड को उपरोक्त ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन को बिछाने के लिए सभी शक्तियां निम्नलिखित शर्तों एवं निबंधनों के अधीन प्रदान करता है, जो भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के तहत टेलीग्राफ के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा स्थापित अथवा अनुरक्षित किए गए टेलीग्राफ लाइन एवं खम्भे या इस प्रकार की स्थापना और अनुरक्षण किए जाने के लिए, टेलीग्राफ प्राधिकरण को प्राप्त हैं:

- i. यह अनुमोदन 25 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है।
- ii. आवेदक को प्रस्तावित लाइन के स्थापना से पूर्व संबंधित प्राधिकरणों अर्थात् स्थानीय निकायों, रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्गों, राज्य राजमार्गों आदि से सहमतियां प्राप्त करनी होंगी।
- iii. आवेदक को विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत सक्षम आयोग के द्वारा तैयार किए गए ट्रांसमिशन ओ एंड एम, ओपन एक्सेस आदि से संबंधित विधियों/दिशानिर्देशों का पालन करना होगा।
- iv. भारत सरकार के विद्युत निरीक्षक/मुख्य विद्युत निरीक्षक के अनुमोदन के पश्चात ही लाइन का संचालन करेगा।
- v. यह अनुमोदन आवेदक द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों की अपेक्षाओं का अनुपालन किए जाने के अध्याधीन है।
- vi. एसीएमई क्लीनटेक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड को विद्युत निरीक्षण के समय विनियमन एवं सुरक्षा प्रक्रियाओं इत्यादि से संबंधित अनुमोदन प्राप्त करने के बाद, इसे केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के विद्युत निरीक्षण के समय प्रस्तुत करना होगा।

[फा. सं. 25-16/45/2026-पावरग्रिड(एमओपी)]

एम.वी.एन. वरा प्रसाद, अवर सचिव (पीजी)

MINISTRY OF POWER**ORDER**

New Delhi, the 8th June, 2026

S.O.2905(E).— Whereas M/s ACME Cleantech Solutions Private Limited, the applicant with its registered Office at Plot No. 152, Sector-44, Gurugram, Haryana - 122002, India, has applied for authorization under Section 164 of the Electricity Act, 2003 for laying of overhead transmission line under the transmission scheme “Transmission system for providing connectivity to M/s ACME Cleantech Solutions Pvt. Ltd. for its 400 MW Power Project with Storage (Solar/Wind: 400 MW, ESS: 380 MWh)”.

And whereas, Ministry of Power, Government of India vide its File No. 25-17/81/2025-PG dated 02.09.2025 had granted prior approval under section 68(1) of the Electricity Act, 2003 for the overhead line covered under the transmission scheme “Transmission system for providing connectivity to M/s ACME Cleantech Solutions Pvt. Ltd. for its 400 MW Wind Power Project with Storage (Wind: 400 MW, ESS: 380 MWh)”.

M/s ACME Cleantech Solutions Private Limited had published notice for transmission scheme in local newspapers Daily Hindi Milap (Hindi) dated 21.11.2025, The New Indian Express (English) dated 21.11.2025, Sakshi (Telugu) 21.11.2025 and Eenadu (Telugu) 21.11.2025 in Weekly Gazette of India dated 20.12.2025 for the general public to make observations/representations on the proposed transmission route within 2 Months from the date of publication. Subsequently, M/s ACME Cleantech Solutions Private Limited has submitted an affidavit dated 14.05.2026 declaring that one (1) observation/representation was received within 2 Months from the date of publication of public notice and observations received was suitably replied.

And now the applicant has requested to confer upon him, all the powers under section 164 of the Electricity Act, 2003, which the telegraph authority possess under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to the placing of telegraph lines and posts for the purpose of a telegraph established or maintained by Government or to be so established or maintained for laying of electric lines under the transmission scheme “Transmission system for providing connectivity to M/s ACME Cleantech Solutions Pvt. Ltd. for its 400 MW Power Project with Storage (Solar/Wind: 400 MW, ESS: 380 MWh)”. The following overhead line is covered under this scheme:

1. ACME Cleantech Solutions Pvt Ltd (Generation Switchyard located at Gulapalem Village, Vajrakarur Tehsil, Anantapur District, Andhra Pradesh) – Anantapuram PS (ISTS S/s) 220 kV S/c line on D/c towers (with stringing of both circuit of D/c tower and bunching of both circuits at both ends and terminating on a single bay at both ends to form S/c line)

The transmission line covered under the above scheme will pass through, over, around and between the following villages, towns and cities Andhra Pradesh:

Name of the villages	Tehsil	District	State
Gulyapalem, Konakondla, Gulapalem, Kamalapadu	Vajrakaruru	Anantapur	Andhra Pradesh
Donimukkal, Thimmapuram	Guntakal	Anantapur	Andhra Pradesh

Now, after careful consideration, Ministry of Power, Government of India, under section 164 of the Electricity Act, 2003, confers all the powers to M/s ACME Cleantech Solutions Private Limited for laying above overhead line, which telegraph authority possesses under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to placing of telegraph lines and posts for the purposes of a telegraph established or maintained, by Government or to be established or maintained subject to following terms and conditions for installing the above-mentioned line, namely:

- i. The approval is granted for 25 years.
- ii. The Applicant shall have to seek the consent of the concerned authorities i.e., local bodies, Railways, National Highways, State Highways etc. before erection of proposed line.
- iii. The Applicant shall have to follow regulations/codes of the Appropriate Commission regarding transmission, O&M, open access, etc., framed under Electricity Act, 2003.
- iv. The Applicant shall operate the line after approval of Electrical Inspector / Chief Electrical Inspector of Central Government.
- v. The approval is subject to compliance of the requirement of the provisions of the Electricity Act, 2003 and the rules made there under by the applicant.
- vi. M/s ACME Cleantech Solutions Private Limited shall have to submit the requisite clearances to Central Electricity Authority after obtaining the same from concerned authorities like Civil Aviation, Defence etc., at the time of Electrical Inspection.

[F.No.25-16/45/2026-POWER GRID(MoP)]

M.V.N. VARA PRASAD, Under Secretary (PG)